प्र स्क गु

टी०ए० मिस केस सं० 146/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
04/01/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री युधिष्टिर बारी, पिता– स्व० डुबलिया बारी,** ग्राम– **नीमडीह,** थाना–**टोन्टो,** जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **बामेबासा, थाना– 636,** खाता नं०– **161,** प्लॉट नं०– **802,** **रकवा– 0.52 एकड़** भूमि क्रेता **श्री रामनाथ तुबिड़, पिता– श्री डुका तुबिड़,** ग्राम– **बामेबासा,** थाना– **टोन्टो** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, **टोन्टों** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् प्राप्त भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।** अंचल अधिकारी, **टोन्टों** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– **132,** दिनांक– **30.10.2019** द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **श्री रामनाथ तुबिड़, पिता– श्री डुका तुबिड़,** ग्राम– **बामेबासा,** थाना– **टोन्टो,** के पास **50,000.00/–(पचास हजार) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **टोन्टों** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **3.00** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, **टोन्टों** एवं ग्रामीण मुण्डा ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **श्री युधिष्टिर बारी, पिता– स्व० डुबलिया बारी,** ग्राम– **नीमडीह,** क्रेता **श्री रामनाथ तुबिड़, पिता– श्री डुका तुबिड़,** ग्राम– बामेबासा, थाना– **टोन्टो** के पास. **50,000.00/–(पचास हजार) रूपये** में **मौजा– बामेबासा, थाना– 636,** खाता नं०– **161,** प्लॉट नं०– **802,** **रकवा– 0.52 एकड़** भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ... अनुमति ......दी जाती है। लेखापित। 4/1 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 4/1/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner